पत्रांक 50 जि.उ.वि.प्र.आ.रा. / 2022

प्रेषक,

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
रायबरेली।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (उत्तर प्रदेश)
लखनऊ।

दिनांक– 14 मार्च, 2022

विषयः– **निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेस विज्ञप्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आपको सूचित करना है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायबरेली का न्यायालय / कार्यालय कलेक्ट्रेट कैम्पस, रायबरेली में स्थित है। उक्त आयोग में मध्यस्थ पैनल की नियुक्ति करनी है जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक–05–04–2022 के सायं 05 बजे तक आवेदन पत्र मांगे गये है। मध्यस्थ पैनल के लिए योग्यता एवं आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ के वेबसाइड http://scdrc.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं या जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायबरेली के कार्यालय में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सूचना के सम्बन्ध में निःशुल्क प्रकाशन एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी के बहु प्रचलित समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–प्रोफार्मा

भवदीय,

(मदन लाल निगम)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
रायबरेली।

प्रतिलिपिः– निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति मान्नीय राज्य आयोग के वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

14/03/2022
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
रायबरेली।

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
रायबरेली

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,रायबरेली हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु निम्न व्यक्ति अर्ह होंगें :–

(1) भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

(2) उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

(3) उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य

(4) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य

(5) दस वर्षो से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी

(6) वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता

(7) भारत के उच्चतम न्यायालय,उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ पैनलबद्ध मध्यस्थ

(8) मध्यकता/सुलह में न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति

(9) न्यूनतम 15 वर्षो का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य प्रोफेसनल्स अथवा सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायबरेली हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु निम्न व्यक्ति अनर्ह होंगें :–

(1) ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया हो ।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो,लगाय गये हों और लंबित पडे हों ।

(3) ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिये दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है ।

(4) ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो और लंबित हो अथवा दण्ड दिया गया हो ।

<u>जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,रायबरेली हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

1.आवेदक का नाम (हिन्दी में):

2.आवेदक का नाम (अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में):

3.आवेदक के पिता/पति का नाम (हिन्दी में):

4.आवेदक की जन्म तिथिः

5.आवेदक की शैक्षिक योग्यताः

6.आवेदक का पता (हिन्दी में):

7.आवेदक का मोबाइल नंबर :

8.आवेदक की ई–मेल आई0डी0 :

9.अन्य विवरण जिसका संबंध निम्न से हो :

10.यदि आवेदक किसी न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य/वकालत का दस वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता/मध्यकता/सुलह में न्यूनतम पांच वर्षो का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति/न्यूनतम 15 वर्षो का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य प्रोफेसनल्स अथवा सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी है तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें एवं सेवा के अंतिम पद का उल्लेख करें :

11.क्या आवेदक को कभी दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया है:–

12.क्या आवेदक के विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो,लगाय गये हैं और लंबित पडे हैं:–

13.क्या आवेदक को किसी अपराध के लिये दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है :–

14.क्या आवेदक के विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई और लंबित है अथवा दण्ड दिया गया है :–

दिनांकः

स्थान : आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

संलग्नकः

घोषणा–पत्र

एतदद्वारा मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन में जो भी सूचनायें अंकित कीं हैं वह सत्य हैं । भविष्य में यदि कोई सूचनायें गलत पाईं जातीं हैं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये ।

दिनांकः आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

स्थान :

नोटः आवेदन पत्र दिनांक– 05 **अप्रैल**, 2022 को सायं 05 बजे तक जरिये रजिस्टर्ड पत्र अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,कलेक्ट्रेट कैम्पस, रायबरेली पिन कोड–229001 में प्रेषित किया जाय। साथ ही इस सम्बन्ध में सूच्य है कि पैनलबद्ध मध्यस्थ को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं विनियम–2020 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायबरेली द्वारा तय मानदेय निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत देय होगा।